Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding imposing ban on the printing of Maximum Retail Price on the Medicines

श्री भागीरथ चौधरी (**अजमेर**) **:** सभापति महोदय, आपने आज मुझे लोक महत्व की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार ।

महोदय, सर्वग्राही विकास के पथ पर चलते हुए राष्ट्र कल्याण के संकल्प के साथ भारतीय राजनीति में युगांतर स्थापित करने एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक व स्वर्णिम आठ वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं ।

सभापति महोदय, देश में बहुत समय के बाद एक कुशल नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की केन्द्रीय सरकार विद्यमान है । हमारी सरकार द्वारा बहुत से कठिन निर्णय जनता के जीवन सुधार हेतु लिए गए हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी भारत और भारतीयों के जीवन-स्तर में सुधार हेतु कड़े कदम और कठोर निर्णय लेने में सरकार कोई गुरेज नहीं करेगी ।

मान्यवर, मैं इसी कड़ी में केन्द्र सरकार का ध्यान देश की दवा कंपनियों द्वारा उनके उत्पाद और अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । वर्तमान में विभिन्न दवा कंपनियां अपने उत्पाद से कहीं अधिक मूल्य एवं वास्तविक मूल्य से 10 से 100 गुना अंकित करती हैं, जिसका सीधा-सीधा लाभ दवा विक्रेताओं को मिलता है ।

आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलता है तथा मूल्य न चुकाने की स्थिति में कई बार उसे अपने परिजनों के जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है । इस प्रकार से दवा कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से सीधा लाभ दवा विक्रेताओं को पहुंचाया जा रहा है । प्राय: देखा गया है कि कई जीवन रक्षक दवाओं की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से 100 से 1000 गुना तक होती है, जो सामान्य परिवार की पहुंच से कहीं अधिक होती है और जिसका लाभ प्राइवेट अस्पताल या दवा विक्रेताओं को मिलता है ।

अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसा कोई प्रावधान या बिल में संशोधन लाया जाए, जिससे इन दवा कंपनियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करने पर प्रतिबंध लगे तथा दंड का प्रावधान भी हो । मुझे आशा है कि इस पर वर्तमान केन्द्र सरकार जरूर ध्यान देगी ।